

अवगत्य

सदिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

एनएनईए अकादमी

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्यांक: दिनांक: 09/08/2021

सापेक्षता प्राप्त

सदिय राष्ट्रीय एन-वी-ई शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु विद्यार्थी मासिक एकात्मिक विद्यार्थी संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, एनएनईए अकादमी में सम्बद्धता/सम्बद्धता दिशा में प्रवेश किए जाने हेतु दिनांक- 19/08/2021 को राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा संज्ञा हुई। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्राप्त की संवर्धित संस्थाओं को सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021 पर प्राप्त हुई। इसका दृष्टि में शिक्षा परिषद द्वारा संज्ञा किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता दिशा में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दिनांक 09/08/2021 को अनुमोदन के दिनांक 09/08/2021 को प्राविधिक शिक्षा परिषद, एनएनईए अकादमी द्वारा संज्ञा किया गया है।

संस्था का कोड एवं नाम : 3111-S.V.M PHARMACY COLLEGE,LAGANA,PRATAPGARH-230132

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन प्राप्त की गई संस्था	संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन प्राप्त की गई संस्था
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

संस्था हेतु धर्मा

- ✓ संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, एनएनईए अकादमी प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनांक 19/08/2021 को संज्ञा दिनांक 19/08/2021 को प्राप्त की गई। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था को (एनएनईए प्राविधिक शिक्षा परिषद) द्वारा संज्ञा दिनांक 09/08/2021 को संज्ञा दिनांक 09/08/2021 को प्राप्त की गई। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था में संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था को संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी। संस्था द्वारा संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सभी धर्मा का पूर्णतः पालन करेगी।


S.V.M PHARMACY COLLEGE, LAGANA, PRATAPGARH

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ: दिनांक: 27/09/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4111-S.V.M.PHARMACY COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

PRINCEPAL
S.V.M. PHARMACY COLLEGE
LALGANJ, BHITTA-GARH

- ✓ यदि संस्था का $COA/ISO/PC/CI/PI/PO/PSI/PA/PC$ से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में प्रत्येक उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के किस्तुतरी बंधों का दायर किया जाता है तथा दायर बंध के संबंध में मा. महासचिव द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति वस्तुओं आवेग निमित्त निश्चय जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कालेजिएशन संबंध होने के पूर्व $COA/ISO/PC/CI/PI/PO/PSI/PA/PC$ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उत्तर प्रदेश की $COA/CI/PI/PO/PSI/PA/PC$ के अधिनियम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश/अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत तर्फी-नियम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर अपना जी.एम.एस.यू.सी.ओ. वेब साइट को ऐतिहासिक तृष्टि भूमि, स्टाफ, समय-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त माता-पिता उपलब्ध करने के साथ रेगिस्टर रिकॉर्ड के सम्बन्ध में प्रत्येक आकस्मिक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक संवत्सित प्रत्येक वर्ष को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का फोटो संस्था द्वारा किसी अन्य प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत में प्रेषण किया जाता है और परीक्षा की हस्तकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था को संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही करनी होगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्ति $COA/ISO/PC/CI/PI/PO/PSI/PA/PC$ परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता धर्ती का अनुपालन न किये जाने अथवा धर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ.आर. खान)

सचिव

पू.सं-0-प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2022/5438-9411

दिनांक: 27/06/2022

प्राविधिक-

उपनायक/निदेशक S.V.M. PHARMACY COLLEGE



(एफ.आर. खान)

सचिव

PRINCIPAL
S.V.M. PHARMACY COLLEGE
MEDICAL, BHAGALPUR